-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 07.08.2026**

- **थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 31.07.2026 को थाना रसूलाबाद पर वादी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को अंश भदौरीया पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम दया सुजनपुर, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात व 01 अज्ञात द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 281/2026 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस बनाम अंश भदौरीया पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम दया सुजनपुर, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात व 01 अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए बयान पीड़िता एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस का लोप किया गया व धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंश भदौरीया पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम दया सुजनपुर, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को पंचायत भवन के सामने, ग्राम दशहरा थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से दिनांक 07.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त का मेडिकोलीगल परीक्षण कराते हुये नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

अंश सिह पुत्र धर्मवीर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम दशहरा सुजनापुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 281/2026 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी कहिन्जरी
2. रि0का0 373 गौरव बघेल
3. रि0का0 458 शीलेन्द्र सिंह